

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2497]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 9, 2014/अग्रहायण 18, 1936

No. 2497]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 9, 2014/AGRAHAYANA 18, 1936

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

(कागज अनुभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3094(अ).—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिनांक 11 अक्तूबर, 2004 के का.आ.1105 (अ) द्वारा जारी किए गए अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

अनुसूची के पैरा 4 में क्रम सं. 11 पर मौजूदा प्रविष्टि “ मै. सर्वलक्ष्मी पेपर एवं बोर्ड, डिंडीगुल अन्ना, तमिल नाडु,” के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“ मै. धनलक्ष्मी पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, डिंडीगुल, तमिल नाडु।”

[फा. सं. 4(8)/2014-कागज]

शैलेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

नोट: प्रधान आदेश भारत के राजपत्र में, सं. का.आ. 1105(अ), दिनांक 11 अक्तूबर, 2004 के अंतर्गत प्रकाशित हुआ था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Industrial Policy and Promotion)****(PAPER SECTION)****ORDER**

New Delhi, the 8th December, 2014

S.O. 3094(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18 G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the Newsprint Control Order, 2004, issued vide S.O. 1105(E), dated the 11th October, 2004, namely:-

In para 4 of the Schedule, at serial No. 11, for existing entry, “M/s. Servalakashmi Paper & Boards, Dindigul Anna, Tamil Nadu,” the following entry shall be substituted:-

“M/s. Danalakshmi Paper Mills Private Limited, Dindigul, Tamil Nadu.”

[F.No. 4(8)/2014 – Paper]

SHAIENDRA SINGH, Jt. Secy.

Note: The Principal order was published in the Gazette of India vide No. S.O. 1105(E), dated the 11th October, 2004.